कार्यालय सी.टी. सर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।

क्रमांक :– 616 /सी.टी./18 दिनांक :–24.07.2018

शिकायत निवारण अधिकारी,
सवाई मानसिंह चिकित्सालय,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान संपर्क द्वारा प्राप्त शिकायत क्रमांक 07183613967462 के क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।
संदर्भ :– क्रमांक 8495 दिनांक 21.07.2018

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में लेख है कि मरीज श्रीमति राजवती पत्नि बृजकिशोर साहू दिनांक 21.05.2018 को डॉ. राजकुमार यादव आचार्य एवं इकाई प्रभारी तृतीय की यूनिट में भर्ती किया गया था। जिसका Aortic valve बदलना था। मरीज स्वंय के खर्च पर ईलाज कराना चाहा था। इस हेतु उसको इसमें होने वाले खर्च की सूचना देकर परिजनों की इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता का फार्म दे दिया गया। क्योकि मरीज की स्थिति जल्दी ऑपरेशन की थी। अतः परिजनों ने पैसे की व्यवस्था अपने स्तर पर कर ऑपरेशन करने की सहमति दी। अस्पताल स्टोर में वाल्व की सप्लाई अनियमित रहती है व कभी कभी उपयुक्त साइज का वाल्व उपलब्ध नही होते है। इस कारण मरीज के परिजनों ने वाल्व के पैसे आरएमआरएस में जमा नही कराये। ऑपरेशन के दौरान मरीज के measurement के अनुसार 21 No. Aortic valve लगाया गया जो स्टोर में उपलब्ध नही होने के कारण डॉ. राजकुमार यादव ने मरीज की परिजनों की सहमति से बाजार में उपलब्ध No. 21 Aortic valve मंगाकर ऑपरेशन किया। मरीज के पूर्ण स्वस्थ होने के 5 दिन बाद दिनांक 26.06.2018 को अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। डॉ. राजकुमार यादव आचार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टिकरण पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आचार्य एवं विभागाध्यक्ष